गोपनीय

12 14 8

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

मंत्रिपरिषद हेतु संलेख

विषयः—पटना, गया एवम् दरभंगा जिले में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय के संचालन एवम् इस निमित्त कुल रू0 22,42,000/—(बाईस लाख बयालीस हजार) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

1. जनगणना, 2001 के अनुसार, भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग है जो कि कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, चलन संबंधी और मानसिक विकलांगताएँ शामिल है। 75 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर 8 करोड़ 30 लाख है जिसमें बिहार राज्य में विकलांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 18 लाख 88 हजार है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 2.27 प्रतिशत है। राज्य में विकलांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 18 लाख 88 हजार में दृष्टिहीन विकलांगों की संख्या 10 लाख, मूक विकलांगों की संख्या 1 लाख 35 हजार, बधिरों की संख्या 74 हजार, शारीरिक रूप से विकलांगों की संख्या 5 लाख 12 हजार एवं मानसिक रूप से विकलांगों की संख्या 1 लाख 65 हजार है।

शिक्षा सामाजिक व आर्थिक विकास का सबसे कारगर माध्यम है। **संविधान के अनुच्छेद 21 'क'** जिसमें शिक्षा के मूलभूत अधिकार की गारंटी है और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए, कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपयुक्त वातावरण में उपलब्ध कराई जानी है। जनगणना 2001 के मुताबिक 55 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति अनपढ़ है। यह बहुत बड़ा प्रतिशत है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 26 के अनुसार **"उनके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहें निःशक्त बालकों की ऐसी विद्यालयों तक पहुँच हो।"**

सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय के अधीन तीन नेत्रहीन विद्यालय तथा पॉच मूक बधिर विद्यालय संचालित है जिसमें कुल 376 छात्रों को निःशुल्क आवासन, भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। इसके अलावे मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए ऐसा कोई विद्यालय नहीं रहने के कारण इसकी कमी अर्से से

Scanned with OKEN Scanner

महसूस की जा रही है। अतः मानसिक विकलांग बच्चों के लिए गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अथवा सरकारी स्तर से विद्यालयों के संचालन की कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में देश के कई राज्य यथा प0 बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली एवम् कर्नाटक आदि राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय का संचालन किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय (डे केयर स्कूल) के संचालन का प्रस्ताव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसे राज्य मुख्यालय पटना तथा गया एवं दरभंगा में प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है एवं आवश्यकतानुरूप इसे अन्य प्रमंडलीय मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों में विस्तारित किया जा सकता है। ऐसे विद्यालय का संचालन विभाग द्वारा निर्धारित शर्त एवं मापदंडों के अनुरूप इस प्रक्षेत्र में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। इस संदर्भ में विभाग द्वारा तैयार किया गया मार्गदर्शिका संलग्न है। आवश्यकतानुरूप विभाग समय–समय पर मार्गदर्शिका में व्यवहारिक संशोधन करने हेतु सक्षम होगा।

इस योजना का उद्देश्य मानसिक विकलांग बच्चों की देख–भाल की सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसे विकलांगजनों को समाज के मुख्य धारा में लाने का मौका उपलब्ध कराना, उनके लिए आवश्यक चिकित्सकीय देख–भाल करना एवं बच्चों को न्यूनतम मूल्य पर देख–भाल की सुविधा उपलब्ध कराना है, तथा स्वतंत्र जीवन जीने का मौका उपलब्ध कराना है।

2. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पटना, गया एवं दरभंगा के लिए विद्यालय संचालन का प्रस्ताव है। इस योजना का लाभ 5 से 18 वर्ष तक के आयु के मानसिक विकलांग व्यक्तियों को देय है। इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा एक प्रमुख शर्त्त यह होगी कि मानसिक विकलांगता यथा स्वपरायणता, (Autism) प्रमस्तिष्क अंगघात, (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता (Mental Retardation) तथा इससे संबंधित अन्य विकलांगताएँ एवं बहुविकलांगता (Multiple Disabilities) से ग्रसित बच्चों को उनके माता–पिता या अभिभावक द्वारा नामांकन कराया जा सकता हैं साथ ही लोकल लेभल कमिटि, स्नैक (स्टेट नोडल एजेन्सी सेन्टर), स्नैप (स्टेट नोडल एजेन्सी पार्टनर) अथवा जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के अनुशंसा पर भी ऐसे विद्यालय में प्रवेश/नामांकन दिया जायेगा।

इस योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा कराया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय, द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एव अधिकारिता मंत्रालय तथा नेशनल ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मापदंडो

Scanned with OKEN Scanner

के अनुरूप दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर योग्य गैर सरकारी संस्थाओं का चयन किया जायगा। इस मद की राशि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग होंगे। साथ ही प्रत्येक माह इससे संबंधित प्रगति प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 50 मानसिक विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय में संभावित व्यय निम्नवत होगाः–

(क) आवर्त्तक व्ययः–

1. पदों का व्यय–

(1) कार्यालय हेतु कर्मीः–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय (प्रति माह)	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5	
1	सहायक	02	5000.00	10000.00	120000.00
2	लेखापाल (कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए)	01	5000.00	5000.00	60000.00
3	सुरक्षा कर्मी	03	3000.00	9000.00	108000.00
	कुलः–	**06**	**13000.00**	**24000.00**	**288000.00**

(2) शिक्षण कर्मीः–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय (प्रति माह)	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1	समन्वयक (Coordinator)	01	15000.00	15000.00	180000.00
2	विशेष शिक्षक (Special Educator)	08	12000.00	96000.00	1152000.00
3	शिक्षण सहायक (Teaching Assistant)	10	8000.00	80000.00	960000.00
4	कम्प्यूटर अनुदेशक	02	5000.00	10000.00	120000.00
5	अंशकालिक स्पीच थेरापिस्ट (250 रू0 प्रति भ्रमण, प्रति सप्ताह दो बार)	01	5000.00	5000.00	60000.00
6	अंशकालिक पुनर्वास मनौवैज्ञानिक	01	5000.00	5000.00	60000.00
7	अनुसेवक	01	3000.00	3000.00	36000.00
8	आया/केयर गिभर	02	3000.00	6000.00	72000.00
	कुलः–	**26**	**56000.00**	**220000.00**	**2640000.00**

(ख) अनावर्त्तक व्यय (प्रति विद्यालय):–

(3) बी श्रेणी के शहर हेतु अन्य व्यय–

क्र0	मद का नाम	संभावित मासिक व्यय	संभावित वार्षिक व्यय
1	2	3	4
1	भवन किराया (बी श्रेणी के शहर हेतु)	20000.00	240000.00
2	दिवाकालीन छात्रों के लिए मासिक व्यय	10000.00	120000.00
	कुलः–	**30000.00**	**360000.00**

(4) सी एवं अन्य श्रेणी के शहर हेतु व्यय

क्र0	मद का नाम	संभावित मासिक व्यय	संभावित वार्षिक व्यय
1	2		
1	भवन किराया (सी एवं अन्य श्रेणी के शहर हेतु)	12000.00	144000.00
	कुलः–	**12000.00**	**144000.00**

Scanned with OKEN Scanner

(5)

(5) फर्नीचर एवम् उपकरण हेतु व्ययः–

क्र0	मद का नाम	रख–रखाव एवम् संधारण हेतु संभावित वार्षिक व्यय	संभावित वार्षिक व्यय (क्रय हेतु)	कुल संभावित वार्षिक व्यय
	2	3	4	5
1	फर्नीचर	10000.00	200000.00	210000.00
2	खेल–कूद की सामग्री	5000.00	25000.00	30000.00
3	विशेष प्रशिक्षण सामग्री, विशेष प्रकार के खिलौने आदि	5000.00	75000.00	80000.00
4	7 कम्प्यूटर	20000.00	7x40000 =280000.00	300000.00
	कुलः–	**40000.00**	**580000.00**	**620000.00**

पटना जिला हेतु प्रति विद्यालय होने वाला संभावित मासिक व्यय (1+2+3) :–
24,000/– + 220,000/– + 30,000/– = 274000/-
पटना जिला हेतु संभावित वार्षिक व्यय (1+2+3+5)=
288000+2640000+360000+620000=3908000/- (उन्चालीस लाख आठ हजार)

प्रमंडलीय मुख्यालयों में ऐसे विद्यालय के संचालन में मात्र भवन किराया मद में मासिक व्यय 8000 रूपये कम होगा शेष व्यय पटना जिला के अनुरूप ही होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पटना, गया एवं दरभंगा जिलों में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय के स्थापना का प्रस्ताव है। इन तीन जिलों में दिवाकालीन विद्यालय संचालन हेतु प्रतिवर्ष कुल 1,15,32,000/- (एक करोड़ पंद्रह लाख बत्तीस हजार) रूपये मात्र की आवश्यकता होगी, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में दो माह हेतु कुल रू0 22,42,000/–(बाईस लाख बयालीस हजार) राशि का व्यय निम्नवतरूप से संभावित है:–

(1) (A) कार्यालय कर्मी हेतु मानदेय मद में प्रतिमाह संभावित व्यय 13,000/–(तेरह हजार) रू0 मात्र।

(B) दो माह हेतु संभावित व्यय 26000 x 3 = 78000 (अठहत्तर हजार) रू0 मात्र।

(C) तीन जिलों हेतु दो माह का संभावित व्यय 13000 x 2 = 26000 (छब्बीस हजार) रू0 मात्र।

(2) (A) शिक्षण कर्मी का संभावित मानदेय प्रतिमाह 56000/–(छप्पन हजार) रू0 मात्र।

(B) दो माह हेतु संभावित व्यय 56000 x 2 = 112000 (एक लाख बारह हजार) रू0 मात्र।

(C) तीन जिलों हेतु दो माह का संभावित व्यय 112000 x 3 = 336000 (तीन लाख छत्तीस हजार) रू0 मात्र।

Scanned with OKEN Scanner

(3) (A) भवन किराया पटना शहर हेतु 20000 X 2 = 40000 (चालीस हजार) रू0 मात्र।

(B) भवन किराया गया एवम् दरभंगा हेतु 12000 X 2 X 2 = 48000 (अडतालीस हजार) रू0 मात्र।

(4) (A) फर्नीचर एवम् उपकरण हेतु संभावित व्यय एक विद्यालय हेतु 5,80,000 (पाँच लाख अस्सी हजार) रू0 मात्र।

(B) तीन विद्यालय हेतु संभावित व्यय 580000 X 3 = 1740000 (सत्तरह लाख चालीस हजार) रू0 मात्र।

इस वित्तीय वर्ष में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए तीन जिलों (पटना, गया एवम् दरभंगा) में दिवाकालीन विद्यालय संचालन के निमित्त तीन माह हेतु कुल रू0 22,42,000/–(बाईस लाख बयालीस हजार) राशि के व्यय का प्रस्ताव है।

4. **बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता:**–"2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–राज्य योजना–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 117 मंद बुद्धि बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना–सहायक अनुदान"। इसका विपत्र कोड–2235021010117 है। इसका मांग संख्या–51 है। इस योजना का स्कीम कोड–WEL 5557 है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के लिए 1,00,00,000/–(एक करोड़) रूपये का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है।

5. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर योजना प्राधिकृत समिति का सहमति प्राप्त है। (कार्यवाही संलग्न) प्राधिकृत समिति द्वारा इस शर्त के साथ सहमति दी गई है कि जिस Learning difficulty के लिए अच्छी संस्था मिलेगी, उसकी योजना प्रारम्भ की जायेगी।

6. संलेख की कंडिका–3 में दिये गये विवरणी में आकलित किये गये व्यय के अनुसार तीन जिलों यथा पटना, गया एवं दरभंगा जिले में रू0 1,15,32,000/– (एक करोड़ पन्द्रह लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र की वार्षिक लागत पर मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय के स्थापना का प्रस्ताव है। इस वित्तीय वर्ष में 2 (दो) माह के लिए अनुमानित व्यय रू0 22,42,000/–(बाईस लाख बयालीस हजार) है।

इस प्रकार प्रारंभिक चरण में तीन जिलों यथा पटना, गया एवम् दरभंगा में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय का स्वयंसेवी संस्थाओं

के माध्यम से संचालन का प्रस्ताव है जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो माह का संभावित व्यय 2242000/–(बाईस लाख बयालीस हजार) रू0 व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

5–18 आयु वर्ग के मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय संचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका (संलग्न) तैयार की गई है तथा विद्यालय संचालन के निहित्तार्थ संभावित आवर्त्तक एवम् अनावर्त्तक व्यय का आकलन संलेख की कंडिका –3 में विस्तार से मदवार किया गया है। योजना की कुल स्वीकृत राशि के अन्तर्गत कंडिका–3 में दिये गये मदों में संशोधन करने हेतु विभाग सक्षम होगा। साथ ही आवश्यकतानुरूप ऐसे विद्यालयों का स्थापना राज्य के अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।

7. संलेख की कंडिका 6 में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृत प्रार्थित है।

8. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14.02.12

(रामानन्द झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।
पटना, दिनांक– 15/2/12

ज्ञापांकः–02/सा0सु0वि0यो0–01/2011 स.क– 432

प्रतिलिपिः–संलेख की 45 (पैंतालीस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

14.02.12

संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner